आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Empowerment of Persons with Disabilities Department, Uttar Pradesh

Free Travel Facility for Persons with Disabilities in Buses of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation

40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य के भीतर या बाहर निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।

क्या मिल सकता है

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साधारण बसों में बस के अंतिम गंतव्य तक, प्रदेश के भीतर या बाहर, निःशुल्क यात्रा। 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले या एक से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के साथ एक सहयात्री भी निःशुल्क चल सकता है। यात्री कर नहीं लगता और यह सुविधा पूरे वित्तीय वर्ष की यात्राओं पर मिलती है।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बताई गई श्रेणियों में हो और 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

मुख्य शर्तें

- दिव्यांगता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित हो और कम से कम 40 प्रतिशत हो।
- सुविधा केवल साधारण बसों में है। वातानुकूलित, स्लीपर और वीडियो बसों में यह लागू नहीं है।
- सहयात्री को निःशुल्क यात्रा तभी मिलती है जब साथ का व्यक्ति 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग हो या उसे एक से अधिक दिव्यांगता हो।

दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सक्षम चिकित्सा अधिकारी का जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या भारत सरकार का जारी यूडीआईडी कार्ड

आवेदन कैसे करें

1. योजना पृष्ठ पर अलग आवेदन फॉर्म नहीं दिया गया है। अपना मूल आधार कार्ड और मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड साथ रखें।
2. यात्रा शुरू करते समय मूल दस्तावेज निगम के अधिकृत कर्मचारी या अधिकारी को दिखाएँ।
3. साधारण बस में यात्रा करें। निगम का कर्मचारी आपकी यात्रा का ब्योरा दर्ज करता है और यात्रा सूची पर आपके हस्ताक्षर लेता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://uphwd.gov.in/article/en/disabilities-free-bus-travel
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-divyang-free-bus-travel/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।